बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
*सुरेश कुमार शर्मा
मो० ~~9431818346~~ 9470003023/9431479774

महासचिव,
*सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :– * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिवः– * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्षः– * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्षः– * विनोद आनन्द

पत्रांक :..........03.......... दिनांक ....3/2/15....

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– संघ के प्रतिनिधि मंडल से वार्त्ता हेतु वर्णित विषय पर चर्चा के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संघ द्वारा निम्न बिन्दुओं पर भवदीय का ध्यान आकृष्ट करते हुए समाधान हेतु दिये गये सुझाव पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है :–

(1) **<u>प्रोन्नति अवरूद्ध होने एवं वरीयता सोपान के साथ पदस्थापन किये जाने के संबंध में :–</u>**

(i) उपरोक्त विषयक समादेशवाद संख्या–19114/2012 में माननीय उच्च न्यायालय आदेश दि0–05.08.2014 में यह आदेश है कि Operation of Resolution Annexure-13 (सामान्य प्रशासन का ज्ञापांक–11635 दिनांक 21.08.12) Shall remain stayed परन्तु सामान्य प्रशासन के पत्रांक–12118 दिनांक–12.08.2014 द्वारा प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इस आदेश से ऐसे अनु0 जाति/जनजाति के साथ–साथ अन्य जातियो की भी प्रोन्नति पर रोक लग गई है जिन्हे अनुसूचित जाति/जनजाति को परिणामी वरीयता के साथ–साथ प्रोन्नति दिए जाने से भी प्रोन्नति होती। प्रोन्नति समिति की बैठक होने पर रोक लगाना न्यायोचित नही हैं। प्रोन्नति पर रोक होने से पदाधिकारियों में असंतोष व्याप्त है।

संघ अनु0 जाति/जनजाति को प्रोन्नति देने के पक्ष में है लेकिन चूकि मामला न्यायालय में है ऐसे में न्यायादेश दिनांक –05.08.14 के आलोक में संघ यह चाहता है कि अनु0 जाति/जनजाति को परिणामी वरीयता के साथ प्रोन्नति मानकर उतने पद सुरक्षित कर अनु0 जाति/जनजाति/अन्य सभी को प्रोन्नति दी जाए। न्यायादेश के आने पर सुरक्षित रखे गये पदो पर विचार किया जा सकेगा। ऐसा होने पर प्रोन्नति में अवरोध समाप्त हो जाएगा।

उपरोक्त कार्य करने की महत्ती कृपा की जाए ताकि उच्च मनोबल के साथ पदाधिकारी राज्य के सर्वागीण विकास में सहयोग प्रदान करते रहे।

(ii) वर्त्तमान में 34, 35, 36, 37वीं बैच के पदाधिकारी को MACP के तहत अपर समाहर्त्ता का वेतनमान 7600 ग्रेड पे प्राप्त हो चुका है जिन्हें अपर समाहर्त्ता के पद पर पदस्थापन करने से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा, वही 38, 39वीं बैच के पदाधिकारी को उप सचिव स्तर का ग्रेड पे 6600 प्राप्त है इन्हें उपसचिव स्तर के पद पर पदस्थापित करने से भी अतिरिक्त वित्तीय अतिरिक्त वित्तीय बोझ सरकार पर नहीं पड़ेगा ऐसा न कर मूल कोटि के पदाधिकारी जिनका ग्रेड पे 5400 है को जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला प्रबन्धक राज्य खाद्य निगम/जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी के पद पर भेदभाव पूर्ण से पदस्थापित किया जा रहा है जिससे एक ओर वरीयता सोपान की मर्यादा को ठोस पहुँचता है वही दूसरी ओर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के बीच आपसी दुर्भावना भी व्याप्त होती जा रही है।

संघ का सरकार से विनम्र निवेदन है कि पदस्थापन में वरीयता का ख्याल रखा जाए तथा एक मापदण्ड निर्धारित कर उसी प्रक्रिया के तहत पदस्थापन की जाए जिससे सरकार की छवी अच्छी बनी रहे।

(2) **<u>प्रतिनियुक्ति सुरक्षित पद पर प्रोन्नति देने हेतु BAS Rule के संबंध में</u>** :–

उपरोक्त विषयक बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुर्नगठन 01.04.10 से हुआ है जिसके फलस्वरूप पदों की संख्या 2878 से घटकर 851 हो गयी जबकि उस वक्त वास्तविक पदो की संख्या करीब 1600 थी। वर्त्तमान में बिहार प्रशासनिक के पदाधिकारी की संख्या लगभग 1200 है जो स्वीकृत बल 851 लगभग 350 अधिक है इसके बावजूद संयुक्त परीक्षा 56वीं–59वीं परीक्षा हेतु 100 रिक्ति भेज दी गई है जिसका संघ के द्वारा पत्रांक–27 दिनांक 04.09.2014 द्वारा प्रतिरोध व्यक्त किया गया है (प्रति संलग्न) तथा ज्ञापांक–15378 दिनांक 11.11.14 द्वारा 101 अपर अनुमंडल पदाधिकारी का स्थायी पद सृजित किया गया है इससे बेसिक ग्रेड के पदों की संख्या में 101 की वृद्धि कर दी गई है परन्तु प्रोन्नति वाले पदों की संख्या पूर्व की तरह ही है इससे प्रोन्नति में Stagnation और भी बढ़ गई है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग पुनर्गठन के साथ ही कार्यपालक दण्डाधिकारी का स्वीकृत पद 294 समाप्त कर राजस्व एवं ग्रामीण संवर्ग के पदाधिकारी के लिए क्रमशः 147–147 कार्यपालक दण्डाधिकारी का पद सृजित किया गया तो फिर 101 अपर अनुमंडल पदाधिकारी का पद सृजित करने का क्या औचित्य है इसे स्पष्ट किया जाना भी अपेक्षित है। वर्त्तमान में सेवा अवधि/प्रोन्नति की स्थिति इस प्रकार है :–

<u>मूल कोटि में पदाधिकारियों की सेवा अवधि विवरणी निम्न प्रकार है</u> :–

क्र0 सं0	बैच	नियुक्ति का वर्ष	सेवा अवधि
1	36 बैच	1992	22 वर्ष
2	37 बैच	1993	21 वर्ष
3	38 बैच	1995	19 वर्ष
4	39 बैच	1996	18 वर्ष
5	40 बैच	1997	17 वर्ष
6	41 बैच	1999	15 वर्ष
7	42 बैच	2000	14 वर्ष

इसी प्रकार मात्र एक प्रोन्नती पाये गये पदाधिकारियों की सेवा अवधि विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	बैच	नियुक्ति का वर्ष	सेवा अवधि
1	34 बैच	1989	25 वर्ष
2	35 बैच	1990	24 वर्ष
3	36 बैच	1992	22 वर्ष

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 25–22 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर मात्र एक प्रोन्नति हुई है, वही 22 से लेकर 14 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बावजूद एक भी प्रोन्नति नही हुई है। जबकि मूल कोटि से उप सचिव स्तर में प्रोन्नति की कालावधि 5 वर्ष है एवं उप सचिव से अपर समाहर्त्ता स्तर में प्रोन्नति की कालावधि भी 5 वर्ष ही है। स्वीकृत बल से अतिरिक्त पदाधिकारियों की सेवा विभिन्न विभागों में पदस्थापन हेतु दिया जा रहा है जिसके विरूद्ध प्रोन्नति देने का अनुरोध बार–बार संघ के द्वारा किया जाता रहा है। मूल कोटि के पदाधिकारी की संख्या बल इस प्रकार है :–

(1) दिनांक 04.08.2014 को मूल कोटि के पदाधिकारी की संख्या – 803

(2) मूल कोटि का स्वीकृत पद – 313

(3) मूल कोटि में स्वीकृत बल से अतिरिक्त पदाधिकारी की संख्या – 490

उपरोक्त वर्णित सेवा अवधि पूरी होने एवं अतिरिक्त संख्या बल के कारण प्रोन्नति में कोई प्रगति होने की सम्भावना नजर नहीं आती है।

ससमय प्रोन्नति नहीं होने से पदाधिकारियों का मनोबल गिरता जा रहा है तथा पदाधिकारियों में काफी असंतोष व्याप्त है।

संघ का भवदीय से विनम्र अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के हरेक स्तर पर 20% प्रतिनियुक्ति सुरक्षित पद की स्वीकृति के साथ BAS Rule की स्वीकृति देने की कृपा की जाए ताकि ससमय प्रोन्नति हो सके।

(3) <u>विभागीय कार्रवाई/निलम्बन/दण्ड देने के संबंध में</u> :–

उपरोक्त विषय विगत वर्षों में बगैर कोई ठोस कारण के ही कई पदाधिकारियों को कई वर्षों से निलम्बित रखा गया है या विभागीय कार्रवाई संचालित कर दी गई है जिसके कारण उनका प्रोन्नति बाधित हो गया है। कई पदाधिकारी को दिया गया दण्ड उन पर लगाये गये आरोप के समानुपातिक न होकर वृहद् दण्ड दे दी गई है। जिससे पदाधिकारी में काफी असंतोष व्याप्त हो गई है।

संघ का अनुरोध है कि ऐसे सभी मामले की समीक्षा एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत कराकर न्यायोचित फलाफल पर पहुँचने की आवश्यकता है ताकि न्याय हो सके।

(4) <u>विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नति पाये पदाधिकारियों का अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में</u> :—

वर्ष, 2014 में उपरोक्त पद के लिए हुई प्रोन्नति समिति की बैठक में कुछ पदाधिकारियों की अधिसूचना संभावित रिक्ति एवं स्थानापन्न रिक्ति के विरूद्ध प्रोन्नति हेतु मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री के प्राधिकृत किया गया था, लेकिन वर्ष, 2014 समाप्ति के उपरान्त भी अधिसूचना निर्गत नहीं हुई है। ज्ञात हुआ है उपरोक्त कंडिका—1 (i) में वर्णित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश. के आलोक में अधिसूचना निर्गत नहीं की गई है जबकि उक्त आदेश से कोई बंधेज नहीं है क्योंकि उक्त सूची में प्रोन्नत पाये अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों की अधिसूचना निर्गत हो चुकी है मात्र गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी शेष रह जाते है।

संघ का अनुरोध है कि प्रोन्नति पाये योग्य पदाधिकारी की अधिसूचना निर्गत की जाए।

(5) <u>बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति के संबंध में</u> :—

वर्ष 11, 12, 13 के रिक्त के विरूद्ध भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति हेतु बैठक नहीं हो पायी है। संघ का अनुरोध है आवश्यक औपचारिक पूरी कर बैठक करायी जाए।

(सुशील कुमार)
महासचिव

(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष